

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक- 1166 / 2-6 देवरिया, दिनांक, नवम्बर 03 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय:-

जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-604/ 11-सी/ एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 04.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-758/2-6 दिनांक 20.09.2023 ।


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आपत्ति का आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस की सत्यापित प्रति, एच-2 केस के प्रशमित प्रमाण-पत्र, दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाईन पार्ट-11 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस की सत्यापित प्रति संलग्न है तथा एच-2 केस के प्रशमित प्रमाण-पत्र एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट-11 में अपलोड कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1166 / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

R
15-6-2022
पुस्तक सं०

DCW-39/2022
33

वन विभाग उत्तर प्रदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध ~~आरक्षित वन क्षेत्रों में~~ उपदि नियम 1957 की धारा 33(1) - (1)

रिपोर्ट नं० दिनांक देवरिया बीट रामपुर कारखाना
रेज केस नम्बर 20 20 I

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता
शरिफ सिंह w/o अकशेर सिंह
ग्राम - कंठिया देवी पोस्ट पथरदेवा थार - कंधीचघर
जिला देवरिया (उ०प्र०)
2. गवाह का नाम आत्मज तथा पता
सुभाष चंद्र शर्मा वन हरेगा
विकारा कुमारा सिंह वरु
3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया-कसथा मार्ग K.M. 11-12 के मध्य राष्ट्रीय
घरसी पर ग्राम-सिरासिया थार-रामपुर कारखाना जिला देवरिया में
एक पेड़ अर्जुन रजि. नं० 20-30 तथा 35x22x86 = 800.1 वर्ग मी.
संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया
जाना।
4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण X

15/06/22

कुल हानि का मूल्यांकन राजकीय सम्पत्ति

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

उप प्रजातीय वनाधिकार
वैकल्पिक बालिन
विनियम

महोदय,

आज दि० 13-6-2022 को प्रातः
11-12 के मध्य राष्ट्रीय घरसी पर ग्राम-सिरासिया थार-रामपुर कारखाना जिला देवरिया
स्थित वेदान्ता फसूल खेत पर पहुंचा गया। जहाँ पर एक पेड़ अर्जुन का
टूट पाया गया जिसका समस्त वनोद्धार से सम्बन्ध था। एवं 35x22x86
= 800.1 वर्ग मी० संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग
किया जाना जाया गया। कुछ लकड़ों पर परा-चला कि वेदान्ता फसूल के
मालिक शरिफ सिंह w/o अकशेर सिंह के द्वारा एक पेड़ को काटवाया गया है
एवं प्रजातीय वनोद्धार इस प्रकार कालम नं० 1 में वर्णित अभियुक्त द्वारा 1957
की धारा 33 व.न.सं० 37/1950 का उल्लंघन किया गया है जो की जाचवाही जारी
अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

दिनांक- 13-6-2022 20

केस कारने वली का हस्ताक्षर
पद
15/06/22

वाद प्रस्तुत की जायेगी।

रेंज फंड सामग्री

दिनांक: 13.08.2022
प्रशासक अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज, देवरिया

39/09/2022-23

प्रमाणिक केस नं० 20

रेज अधिकारी देवरिया

~~क्षेत्रीय वन अधिकारी देवरिया का~~
~~प्रस्ताव के अन्तर्गत पर केस को~~
~~नं०-629001-प्रस्ताव कर केस~~
~~की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।~~

कृपया अपनी रिपोर्टें शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

प्रभागीय निदेशक

रेज प्रभाग नवाधिकारी

देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया

दिनांक 15/06/2022 20

अन्तिम रिपोर्ट

अन्य अधिकारियों की रिपोर्टें

साथ में प्रस्तुत की जायेगी।
सूचना के अनुसार प्रस्ताव के अन्तर्गत पर केस को नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।
प्रस्ताव के अन्तर्गत पर केस को नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।
प्रस्ताव के अन्तर्गत पर केस को नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।

सेवा में

प्रशासक निदेशक
आर० ए० प्रभाग
देवरिया

रेज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

R.C.N. 03/2022-23

(प्रमाणिक)

उक्त केस की जांच शीघ्रतः कर लेनी है।
अन्तिम रिपोर्टें प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।
अन्तिम रिपोर्टें प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।

अन्तिम निर्णय

प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस

वनराज अधिकारी के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

केस प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस के अन्तर्गत पर केस को नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।

अनुमति दी जाती है शेष प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस के अन्तर्गत पर केस को नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।

रुपया जिनकी लकड़ियाँ नहीं बरामद हुई है।

से वसूल करके केस डाय किया जाता है।

पर अंकित है।

रीलीज जप किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले नाजायज जेत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्वेफिकेट रेज

अनुसार है।

प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस

प्रमाणिक केस नं०-629001-प्रस्ताव कर केस की परामर्श करने की प्रस्ताव को जारी है।

R.C.N.

प्रभागीय निदेशक

देवरिया

दिनांक 20

सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया

18-10-2023
सा.सा.का.का.
R.C.N.
23-10-2023

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एस0एच0-79 के कि0मी0 11 (चैनेज ज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित क्षेत्र 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-09/2022-23 इजरा किया गया है जिसका प्रतिकर की धनराशि ई-3 सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि ई-3 सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 तथा एक अर्जुन का वृक्ष का पातन का प्रतिकर ई-3 सं0-1294656 दिनांक 02.08.2023 द्वारा रू0 12900.00 जमा कराकर केश प्रशमित किया गया है प्रशमित एच-2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

R. J. J. J.

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

दण्डात्मक एनपीवी की गणना

उल्लंघन की तिथि 12.03.2021

उल्लंघन का एरिया/क्षेत्र-0.075028 हे०

ईको क्लास/हरियाली घनत्व-ECO Class-III घनत्व 0.4

N.P.V. की दर - 1228590.00 रू० रिट

दण्डात्मक N.P.V. - 0.075028×1228590

$$= 92178.65$$

या-92179.00

ब्याज = $\frac{92179 \times 12 \times 3}{100} = 33184.44 = 33184.00$

100

या- 33184.00

दण्डात्मक एनपीवी + ब्याज = $92179 + 33184.00$

$$= 125363.00$$

देय दण्डात्मक एनपीवी = $\frac{125363.00 \times 25}{100} = 25072.60$

100

या- 25073.00

R. J. Arora
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12943 उप प्रभागीय वनाधिकारी नं० 55

वन प्रभाग देवरिया सा० बा० प्रभाग, देवरिया

दिनांक 01-08-2023

श्री श्री देवी स्प्रिंकलर्स प्रा. लि. अण्डोलिया सिटि रोड, देवरिया

रुपया 50,000.-० (शुद्ध पचास हजार रुपये मात्र) प्राप्त किया।

बादत देवी स्प्रिंकलर्स प्रा. लि. अण्डोलिया सिटि रोड, देवरिया

दिनांक 01-08-2023

प्राप्तकर्ता देवी स्प्रिंकलर्स प्रा. लि. अण्डोलिया सिटि रोड, देवरिया

पद नाम

व्यय प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज